# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

**क्रमांकः ई–11/नर्स–2/(एएचडब्लू)/09/395 दिनांक 2-2-10**

**परिपत्र**

विभाग में सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएचडब्लू) के पद पर नियुक्त कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 3.6.82 से मेलनर्स–2 के पद पर पदोन्नति पर (वन टाईम एक्शन के अन्तर्गत) समायोजित किया गया था, के द्वारा सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा 7500–12000 वेतनमान दिये जाने का तथ्य ध्यान में आने पर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक–ई–11/नर्स–2/06/95–120 दिनांक–15.1.07 के द्वारा इन कर्मचारियों को दिये जाने वाले चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिसके सम्बन्ध में इन कर्मियों द्वारा अनुरोध किये जाने पर प्रकरण का पुनःपरीक्षण किये जाने हेतु निदेशालय के परिपत्र क्रमांक–537 दिनांक– 17.5.07 के द्वारा उक्त परिपत्र द्वारा दिये गये निर्देशों को लंबित (कैप्ट इन अबयेन्स) रखा गया था।

वर्तमान में ऐसे मामले सामने आ रहे है, जिनमें सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से नर्स–2 के पद पर पदोन्नत हुऐ कई कर्मचारियों ने, राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.9.98 के सम्बन्ध में दिनांक–1.9.98 से संशोधित वेतनमान में वेतन स्थितिकरण हेतु निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–नर्सिंग/चवे/एलएचवी/2000/589–714 दिनांक 24.5.2000 में अंकित बिन्दु संख्या 3 की गलत व्याख्या करते हुऐ 7500–12000 वेतनमान प्राप्त कर लिया है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि मेलनर्स–2 के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुऐ कर्मचारी जिन्हें 1.9.98 से पूर्व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नर्सिंग अधीक्षक–1 का चयनित वेतनमान 6500–10500 दिया गया था उन्हें ही दिनांक 1.9.98 से 7500–12000 वेतनमान देय होगा जबकि इनकी नियुक्ति सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर की गई थी। इस प्रकार विभाग में इस संवर्ग में काफी वेतन विसंगतियां उत्पन्न हो गई है एवं कई कर्मियों ने उक्त वेतनमान प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालय में भी याचिकाऐं दायर कर दी है।

इस प्रकार इन कर्मियों के वेतनमान में हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में प्रकरण पर वित्तीय सलाहकार मुख्यालय से राय प्राप्त करते हुऐ विभागीय स्तर पर पुनः परीक्षण किया गया। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक–एफ.16 (51) एफडी/(रूल्स) 98 दिनांक 19.9.98 के द्वारा नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–प्रथम का वेतनमान दिनांक–1.9.98 से 6500–10500 के स्थान पर 7500–12000 किया गया है। सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत कर्मियों को वन टाईम एक्शन में मेलनर्स–2 के पद पर पदोन्नत किये जाने के कारण इनका पदोन्नति चैनल नही होने के कारण नियमानुसार इन्हें 7500–12000 वेतनमान देय नहीं है।

अतः राज्य सरकार की आई0डी0 संख्या 851 दिनांक–25.1.10 के अनुसरण में पूर्ण परीक्षण के आधार पर विद्यमान प्रावधानों के अनुसार निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–ई–11/नर्स–2/(एफ–327)/06/537 दिनांक–17.5.07 को प्रत्याहरित किया जाता है, फलस्वरूप पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक–ई–11/नर्स–2/06/95–120 दिनांक–15.1.07 यथावत प्रचलन में रहेगा । जिसके अनुसार इन कर्मियों को निम्नानुसार ही चयनित वेतनमान देय होंगे।

| | RPS"89 | RPS"98 | |
|---|---|---|---|
| AHW | N.A. | N.A. | चयनित वेतनमान |
| नर्स ग्रेड़–द्वितीय | 1400–2600 | 5000–8000 | 9 वर्ष पर देय |
| नर्स ग्रेड़–प्रथम | 1640–2900 | 5500–9000 | 18 वर्ष पर देय |
| नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड़–द्वितीय | 2000–3200 | 6500–10500 | 27 वर्ष पर देय |

अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारी उक्तानुसार कार्यवाही करेंगे। इस सम्बन्ध में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में मा0 न्यायालयों द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों के अध्याधीन ही आदेश जारी किये जायेंगे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–11/नर्स–2/(एएचडब्लू.)/09/ 395 दिनांक 2-2-10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग राज0 जयपुर/ उपशासन सचिव चि0 एवं स्वा0 ग्रुप-3 राज
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. निदेशक,(ईएसआई)(मोबाईल सर्जिकल युनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।
4. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सम्बन्ध में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को इस आदेश की प्रतियां भेजकर मा0 न्यायालयों में तदानुसार उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान करें।
5. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह,जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/ अजमेर/कोटा
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/जोधपुर/ बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/कोटा
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ––––––
8. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–––––– / सर्वर रूम, निदेशालय
9. आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर